आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमण्डल, छपरा

आई०सी०डी०एस० अपीलवाद संख्या–140/2024

1. चंदा देवी, पति–रमेश प्रसाद।

बनाम

1. जिला पदाधिकारी, सारण।
2. जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सारण।
3. मीना देवी, पति–अजय प्रसाद।

उपस्थिति/प्रतिनिधित्व	:–
अपीलकर्त्ता की तरफ से	:–विद्वान अधिवक्ता, श्री रामयाद यादव।
विपक्षी सं०–01 से 02 की तरफ से	:–विद्वान सरकारी अधिवक्ता।
विपक्षी सं०–03 की तरफ से	:–विद्वान अधिवक्ता, अरविन्द कुमार सिंह।

आदेश

अनुसूची–14 फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	**आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर**	*आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ*
06.09.2024 **24.09.2024**	प्रस्तुत अपीलवाद जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सारण के वाद सं०–12/2014 में दिनांक–25.06.2024 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विषय वस्तु यह है कि साकिन–जानकी नगर, वार्ड सं0–11, पोस्ट–कुमना, थाना–कोपा, प्रखंड–जलालपुर, जिला–सारण अन्तर्गत नवसृजित मिनी आँगनबाड़ी केन्द्र सं0–170 (एम०) पर अपीलकर्ता चंदा देवी, पति–रमेश प्रसाद के चयन को चुनौती देते हुए विपक्षी सं0–03, मीना देवी पति–अजय प्रसाद द्वारा न्यायालय, जिला पदाधिकारी, सारण के समक्ष–आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0–01/2016 दायर किया गया था। वाद की सुनवाई के पश्चात् दिनांक–05.10.2023 को जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, (I.C.D.S), सारण, छपरा को निम्नांकित बिंदुओं पर पुनः विचार कर 30 दिनों में मुखर आदेश पारित करने हेतु वाद को Remand Back किया गया, *"(i) क्या चन्दा देवी पोषक क्षेत्र की निवासी है? चयन वार्ड संख्या–11 के अन्तर्गत आँगनबाड़ी केन्द्र के लिए हुआ है। क्या चन्दा देवी वार्ड संख्या–12 की निवासी है जिसका दावा अपीलार्थी द्वारा किया जा रहा है।* *(ii) अपीलार्थी द्वारा बताया गया है कि चन्दा देवी केन्द्र*	

WEB COPY NOT OFFICIAL

Scanned with OKEN Scanner

संख्या–07 की सहायिका है। क्या केन्द्र संख्या–07 वार्ड संख्या–11 में है? क्या केन्द्र संख्या–07 के पोषक क्षेत्र के निवासी को केन्द्र संख्या–170 मिनी केन्द्र के लिए चयन किया जा सकता है?

(iii) *मार्गदर्शिका कंडिका 4.8 में स्पष्ट है कि सहायिका को प्राथमिकता दी जायेगी। क्या अन्य केन्द्र के सहायिका को किसी दूसरे केन्द्र पर प्राथमिकता दी जा सकती है?"*

उक्त आदेश के आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (I.C.D.S), सारण, छपरा द्वारा वाद सं०–12/2014 की सुनवाई करते हुए दिनांक–25.06.2024 को पारित आदेश में विपक्षी सं0–03, मीना देवी, पति–अजय प्रसाद के चयन हेतु आदेश दिया गया है, जिससे असंतुष्ट होकर अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत वाद इस स्तर पर दायर किया गया है।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता उपस्थित। विद्वान अधिवक्ताओं को ग्रहण के बिन्दु पर सुना।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, प्रश्नगत आँगनबाड़ी केन्द्र के सेविका पद पर चयन हेतु एक ही प्राधिकार विपक्षी सं0–02, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (I.C.D.S), सारण छपरा द्वारा अपीलकर्ता चन्दा देवी एवं विपक्षी–03, मीना देवी का चयन एक ही आँगनबाड़ी केन्द्र पर एक दूसरे को हटाते हुए बारी–बारी से किया गया है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (I.C.D.S), सारण का आदेश विधिसम्मत नहीं है, ऐसी स्थिति में उसे निरस्त करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

प्रस्तुत विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा सरकार का पक्ष रखते हुए कहा गया कि प्रस्तुत मामला *"आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका, 2010"* से आच्छादित है। समेकित बाल विकास सेवाएँ (I.C.D.S), निदेशालय, बिहार (समाज कल्याण विभाग) बिहार पटना के पत्रांक–1780, दिनांक–05.03.2020 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि मार्गदर्शिका, 2010 से आच्छादित मामलों में चयन संबंधी शिकायत के मामलों में सुनवाई संबंधित 'जिला पदाधिकारी' द्वारा तथा अपील 'प्रमंडलीय आयुक्त' द्वारा सुना जाना है। विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा आगे कहा गया कि प्रस्तुत मामलें में D.P.O (I.C.D.S),

WEB COPY NOT OFFICIAL

Scanned with OKEN Scanner

सारण द्वारा वाद सं0–12/2014 में पारित आदेश जो ज्ञापांक–1311, दिनांक–19.12.2015 द्वारा संसूचित है, के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, सारण के न्यायालय में अपीलवाद सं0–01/2016 दायर किया गया था। अपीलवाद सं0–01/2016 में दिनांक–05.10.2023 को पारित आदेश में चिन्हित बिंदुओं पर D.P.O(I.C.D.S), सारण द्वारा पुनः विचार कर दिनांक–25.06.2024 को आदेश पारित किया जा चुका है।

विद्वान अधिवक्ताओं को सुननें तथा अभिलेख पर उपलब्ध कागजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि D.P.O(I.C.D.S), सारण के आदेश ज्ञापांक–1311/प्रो०, दिनांक–19.12.2015 के पश्चात जिला पदाधिकारी, सारण छपरा द्वारा वाद सं०–01/2016 की सुनवाई की गयी है तथा उनके आदेश दिनांक–05.10.2023 में चिन्हित बिन्दुओं पर D.P.O(I.C.D.S), सारण द्वारा पुनः सुनवाई कर ज्ञापांक–741/प्रो०, दिनांक–25.06.2024 द्वारा आदेश पारित किया जा चुका है।

समेकित बाल विकास सेवाएँ (I.C.D.S), निदेशालय, बिहार (समाज कल्याण विभाग) बिहार पटना के पत्रांक–1780, दिनांक–05.03.2020 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका, 2010 से आच्छादित चयन संबंधी शिकायत के मामलों में संबंधित 'जिला पदाधिकारी' द्वारा सुनवाई के पश्चात् 'प्रमंडलीय आयुक्त' के समक्ष अपील दायर किये जाने का प्रावधान है। प्रस्तुत मामले में जिला पदाधिकारी, सारण द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर पुनः विचार कर आदेश पारित करने हेतु वाद जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS) को Remand Back किया गया था, जिसके आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS) द्वारा सुनवाई कर आदेश पारित किया जा चुका है। विभागीय मार्गदर्शिका–2010 के प्रावधानों के आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS) के आदेश के विरूद्ध प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष वाद दायर करने का कोई प्रावधान नहीं है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में प्रस्तुत अपीलवाद को इस स्तर पर पोषणीय न पाते हुए उसे ग्रहण के बिन्दु पर खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त　　　　　　आयुक्त।

WEB COPY NOT OFFICIAL

Scanned with OKEN Scanner